प्रियंका को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मुहिम तेज

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के मद्देनजर अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर मझधार में फंसी पार्टी की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपे जाने की आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की न केवल पुरजोर वकालत की है, बल्कि यह भी कहा है कि उनमें ही अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मुश्किल वक्त में पार्टी को दोबारा सत्ता में ला खंडा करने का दमखम है। इन नेताओं ने यह दलील भी दी है कि यदि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में बिखराव होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

केंद्र सरकार के पूर्व मंत्रियों नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री आदि नेताओं के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद शशि थरूर ने भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रियंका जरूर हिस्सा लेंगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र व पश्चिम बंगाल की जांगीपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर किरमत आजमाने वाले अभिजीत मुखर्जी भी पहले ही कह चुके हैं कि अपनी दादी की तरह ही प्रियंका गांधी में भी पार्टी को इस मुश्किल वक्त से उबारकर दोबारा सत्ता में ला खड़ा करने की क्षमता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने हाल ही में कहा कि राहल गांधी के इस्तीफे के मद्देनजर पार्टी

किशोरी से सामूहिक

बलात्कार, चार के

खिलाफ मामला दर्ज

राजस्थान में अलवर जिले के बडौदामेव थाना

क्षेत्र में दो युवकों ने एक किशोरी के साथ

बलात्कार किया और उसकी निर्वस्त्र फोटो सोशल

मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बताया कि

किशोरी के परिजनों ने सामूहिक बलात्कार करने

वाले दो व्यक्तियों सहित चार लोगों के खिलाफ

बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता के

पड़ोस में रहने वाली एक महिला पिछले सप्ताह

उसे बुलाकर अपने घर ले गई जहां पहले से

मौजूद एक युवक ने उसके साथ बलात्कार

किया। महिला के पति ने पीड़िता की निर्वस्त्र

फोटो खींची और उसने भी उसके साथ बलात्कार

किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद एक

अन्य एक युवक पीड़िता से मिला और उसकी

निर्वस्त्र फोटो उसके पास होने की बात कह कर

उससे अकेले में मिलने को कहा। जब पीड़िता ने

इस बात से इनकार किया तो उसने उसकी फोटो

टिकटॉक पर वीडियो डालने के

मामले में दो कांस्टेबल निलंबित

गुजरात के राजकोट में ड्यूटी के दौरान शूटिंग करने और सोशल

मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर एक वीडियो डालने के मामले में दो

पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने

अधिकारी ने बताया कि एक पूर्व यातायात वार्डन ने एक पुलिस

नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन के बोनेट पर खड़े होकर पोज दिया

जबिक एक कांस्टेबल गाड़ी चला रहा था और दूसरा पुलिसकर्मी वीडियो

ए-संभाग पुलिस इंस्पेक्टर एनके जडेजा ने बताया, ड्यूटी के दौरान

एक पीसीआर वैन का इस्तेमाल कर एक वीडियो रिकार्ड करने में संलिप्त

पाए जाने के बाद ए-संभाग थाना के दो कांस्टेबलों को निलंबित कर

दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल की ओर

से की गई जांच में पता चला है कि कॉन्स्टेबल अमित प्रागजी वैन चला

रहा था और कांस्टेबल नीलेश पूनाभाई कुछ दूरी से वीडियो रिकॉर्ड कर

रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रागजी और पूनाभाई दोनों को निलंबित कर

दिया गया है। जडेजा ने बताया, वीडियो करीब डेढ़ महीना पहले रामनाथ

बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़ों के लिए जारी

लुकआउट सर्कुलर के बारे में

सूचना नहीं देगी सीबीआइ

पारा पुलिस लाइन इलाके में शूट किया गया था।

वाट्सऐप पर वायरल कर दी।

राजकोट, २८ जुलाई (भाषा)

रविवार को यह जानकारी दी।

शृटिंग कर रहा था।

थानाधिकारी दिनेश मीणा ने रविवार को

शनिवार को मामला दर्ज करवाया।

अलवर, 28 जुलाई (भाषा)।

की कमान अब प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि वह हर प्रकार से इसके योग्य हैं। उनका यह भी मानना है कि पार्टी को एकजूट रखने व बिखराव से बचाने के लिए गांधी परिवार के ही व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। एक अन्य नेता अनिल शास्त्री ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रियंका पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व हैं

• नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल और अनिल शास्त्री आदि खुलकर प्रियंका को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में

 शिश थरूर ने भी की प्रियंका के नाम की वकालत

और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि वह उनको अपना नेता चुने।

इसी प्रकार श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी कहा कि यही वह मौका है जब प्रियंका को पार्टी की बागडोर संभालने चाहिए क्योंकि वह इस पद के सर्वाधिक योग्य नेता हैं। ओड़ीशा से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्तचरण दास ने भी यह मांग की कि देश के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग के मद्देनजर प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए।

प्रियंका के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व केरल की तिरुवनंनतपुरम संसदीय सीट से कांग्रेस सासंद थरूर ने भी एक इंटरव्य में रविवार को कहा कि उनको उम्मीद है कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होने पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा इसमें अपनी किस्मत आजमाने को लेकर फैसला करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास स्वाभाविक करिश्मा है जो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। उनकी इसी खूबी के कारण कई लोग उनकी तुलना उनकी दादी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिवंगत इंदिरा गांधी से करते हैं। वह निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में नयी जान डालेंगी और साथ ही मतदाताओं को भी पार्टी की ओर खीचेंगी।

चुनावी हार के बाद बीते 25 मई की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बाद उनके परिवार का कोई और व्यक्ति भी यह पद नहीं संभालेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि दो महीने से अधिक का वक्त गुजर चुकने के बावजूद कांग्रेस राहुल का विकल्प नहीं ढूंढ़ पाई है।

इस बीच, सोनभद्र आदिवासी हत्याकांड मामले में प्रियंका गांधी के तीखे तेवर देख तमाम पार्टी नेताओं को उनसे उम्मीदें बंध गई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी से मिलकर उनसे अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया भी था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के पतन और देश भर में कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ को देखते हुए यह देखना अहम है कि कांग्रेस कब तक इस महत्वपूर्ण मामले में निर्णय तक पहुंच पाती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी जद (एकी) में शामिल

पटना, 28 जुलाई (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई वाले जनता दल (एकी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता रहे फातमी ने हालिया लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर राजद से नाता तोड़

जद (एकी) के स्थानीय मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने फातमी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिंह ने फातमी का जद (एकी) परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि फातमी साहब के जुड़ने से पार्टी संगठन को दरभंगा के साथ ही पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि फातमी साहब जिस दल से आए हैं उस दल के चंद नेताओं में शुमार थे, ऐसे में इनका उस दल को छोड़ जद (एकी) की सदस्यता लेना बड़ा फैसला है।

तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में जदय के रुख के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि सदन में बहस के समय हम लोगों का जो रुख होगा उससे आप अवगत हो ही जाएंगे, पर इसको लेकर हमारा पहले जो रुख था, उस पर हम अभी भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करते हुए राजग में शामिल जद(एकी) सदन से वॉकआउट कर गई थी।

फातमी ने कहा कि जद(एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे न्याय के साथ विकास, खासकर बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के जरिए जितनी भी जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ व हो रहा है, इससे पहले किसी भी पार्टी की सरकार के जरिए नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के पिछड़े वर्गों और अकलियतों, चाहे वो किसी भी तरह के अकलियत हों, के मुद्दे पर कभी कोई

समझौता नहीं किया। एनरीपीसी NTPC एन टी पी सी लिपिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएनः L40101DL1975GOI007966 पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप कोंम्प्लैक्स, 7 इंस्टीट्यूशल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन नं.: 011-24360959, फैक्स: 011-24360241 ई—मेल: csntpc@ntpc.co.in, वेबसाइटः www.ntpc.co.in

43वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोज़र और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम. बुधवार, २१ अगस्त, २०१९ को प्रातः १०.३० बजे मानेकशों सेंटर, परेड रोड, नई दिल्ली—११००१० में होगी जिसका उद्देश्य इसकी सूचना (दिनांक 18 जुलाई, 2019 के परिशिष्ट के साथ पढें) में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करना है। कम्पनी के शेयरघारकों के पंजीकृत पते ∕ ई–मेल पते पर 43वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ ए.जी.एम. की सूचना, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्टॅंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, अंकेक्षक की रिपोर्ट और निदेशक की रिपोर्ट भेज दी गई है। 43वीं एजीएम की सूचना और इसके परिशिष्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अंतर्गत एवं के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजी और शेयर ट्रांस्फर बुक 15 अगस्त, 2019 से 21 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगी। यदि वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार इक्विटी शेयरों पर अंतिम रूप से लामांश की घोषणा होती है तो वास्तविक रूप से शेयर रखने वाले उन सदस्यों को जिनके नाम 21 अगस्त, 2019 को कम्पनी की पंजी में होंगे और डीमैट शेयर के मामले में शेयर के उन लाभार्थी खामी, जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थी स्वामित्व के विवरण में 14 अगरत, 2019 को कारीबार समय बन्द हीने तक दर्ज होगे, को 3 सितम्बर, 2019 को भुगता-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनिमय 2014 के नियम 20, समय-समय पर संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व और आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कम्पनी सहर्ष अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दे रही है ताकि वे एनएसडीसीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से 8 जुलाई, 2019 दिनांकित एजीएम सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकें।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार 18 अगस्त, 2019 भारतीय समयानुसार प्रातः 9.00 बजे आरंभ और मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 भारतीय समयानुसार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल मतदान के ई—वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर देगी। किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देने के बाद सदस्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। रिमोट ई-वोटिंग के बारे में विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

 रिमोट ई-वोटिंग से मतदान / ए.जी.एम. में मतदान की सुविधा केवल उसे होगी जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 14 अगस्त, 2019 को सदस्यों की पंजी या डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध लाभार्थी स्वामियों की पंजी में होगा

 एजीएम की सूचना भेजने के बाद परंतु कट ऑफ तिथि या उससे पहले कम्पनी के सदस्य बनने वाले अंशधारक evoting@nsdl.co.in पर आवेदन भेजकर अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल में पंजीकृत सदस्य वर्तमान युजर आईडी और पासवर्ड के साथ मतदान कर सकते हैं। रिमोट ई-वॉटिंग से मतदान कर चुके सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, पर दोबारा मतदान

नहीं कर सकते। सदस्यगण ये ध्यान रखें कि ए.जी.एम. में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी . पारदर्शिता और ईमानदारी से मतदान और रिमोट ई-वोटिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

निदेशक मंडल ने मैसर्स ए. कौशल एंड एसोसिएट्स के श्री अमित कौशल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को स्कूटनाइज़र नियुक्त किया है।

सदस्यों से आग्रह है कि ए.जी.एम. सूचना में प्रकाशित रिमोट ई—वोटिंग संबंधी निर्देश सावधानी से पढ़ लें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हान्ने (प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013, ई-मेल evoting@nsdl.co.in, फोन: 1800 222 990/91 22 24994200/91 22 24994545 से

10. अब तक ई—मेल नहीं रजिस्टर कराने वाले सदस्य या ई—मेल अपडेट करने के इच्छ्क सदस्य पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग के उद्देश्य से कृपया अपने संबंधित डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग हेत्) या अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड / कम्पनी (वास्तविक रूप से होल्डिंग हेत्) से संपर्क करें ताकि सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल सकें। कृते एनटीपीसी/लिमिटेड

हस्ता./-(नंदिनी सरकार)

कंपनी सचिव

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

बंगाल में बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला ग्रामीणों ने

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 28 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के निदया जिले में स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार रात में कल्याणी पुलिस थानाक्षेत्र के दोगच्चा क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि तीन बदमाशों ने कुछ स्थानीय युवकों पर हमला करके उनसे कीमती सामान लूटने का प्रयास किया। यह सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटने लगे।

उन्होंने बताया कि उनमें से एक बदमाश भागने में सफल रहा जबिक दो अन्य की ग्रामीणों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।'

मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में भीड ने महिला को पीटा

सागर (मध्य प्रदेश), 28 जुलाई (भाषा)।

सागर शहर के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र के भगवानगंज में शनिवार शाम को भीड़ ने मानसिक रूप से बीमार एक महिला (43) की बच्चा चोर होने के शक में कथित तौर पर पिटाई कर दी। कैंट पुलिस थाने के प्रभारी जेजे चौधरी ने रविवार को बताया कि पुलिस को शनिवार शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने सागर रेलवे स्टेशन के पास भगवानगंज में एक महिला को बच्चा चुराने वाली समझ कर पकड़ लिया है व उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने ले आई। चौधरी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि इस महिला का नाम मंजू है और वह मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की शुभम कॉलोनी की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि वह मानसिक तौर पर

स्वस्थ रही है। लग वह यह नहीं बता पा रही है किस सूचना परेशानी के चलते ट्रेन में सवार होकर आई।

कि

चौधरी

संबंध

पुलिस

के

कर

बताया कि इस

अज्ञात लोगों

खिलाफ

जांच

विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड सिंघ बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 07 अगस्त, 2019 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (Q1) के बैंक के अलेखापरीक्षित, समीक्षित वित्तीय परिणामों को रिकॉर्ड में लेने के साथ-साथ उनको कलमबद्ध किया जायेगा। (उक्त सूचना बैंक की वेबसाइट

www.psbindia.com/investors_information.php तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com/ एव www.nseindia.com/ पर उपलब्ध है।) दिनांकः 26 जुलाई, 2019 स्थानः नई दिल्ली

GLOBUS SPIRITS LIMITED

ISHWAR NAGAR, MATHURA ROAD, NEW DELHI-11006

पंजाब एण्ड सिंध बैंक प्र. का. 21, राजेंद्र प्लेल, नई दिल्ली-110008, वेबसाइट : www.psbindia.com, इमेल: complianceofficer@psb.co.in

सेबी (सूचीकरण दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के

[विनय खंडेलवाल]

आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी आरटीआइ में

नहीं मिल सकती : आयोग जनसत्ता ब्यूरो

जयपुर, 28 जुलाई।

राजस्थान सूचना आयोग ने अपने महत्त्वपूर्ण फैसले में लोक सेवा आयोग की आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी को संवेदनशील और गोपनीयता के लिहाज से आरटीआइ के दायरे से बाहर माना है। आयोग ने इसकी जानकारी हासिल करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रतियोगी परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता को देखते हुए कहा कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सूचना आयोग ने राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ दायर द्वितीय अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त आसुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता लाने के साथ संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को भी बनाए रखना है। इसलिए ऐसी सूचनाएं किसी सरकारी दफतर की सामान्य टेंडर की सूचनाएं नहीं मानी जा सकती है। सूचना आयोग में अजमेर निवासी तरूण अग्रवाल ने द्वितीय अपील के जरिए राजस्थान

लोक सेवा आयोग से आनलाइन परीक्षा टेंडर से जुडी जानकारियों को समस्त दस्तावेजों के साथ सूचनाएं चाही गई थी। लोक सेवा आयोग ने यह सूचनाएं देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अग्रवाल ने सूचना आयोग में अपील दायर कर सूचनाएं दिलाए जाने की गुहार लगाई थी। अग्रवाल का कहना था कि सरकारी कार्यालय में टेंडर की सूचनाएं देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके जवाब में लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया था कि चाही गई सुचना आरटीआइ एक्ट की धारा 8 और अन्य उप धाराओं के तहत नहीं दी जा सकती है। ऐसी सूचनाएं देने से परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त आसूतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी कार्यालयों में टेंडर प्रक्रिया से जुडी सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती है। लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं के टेंडर से जुडी जानकारियां सामान्य सरकारी दफतरों के टेंडर की सचना नहीं है। यह ऐसी संवेदनशील सचना है जो परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष रॉय का निधन

शिलांग/गुरुग्राम, 28 जुलाई (भाषा) ।

मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष डॉनकूपर रॉय का गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे । वह 64

साल के थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रॉय को सबसे पहले शिलांग के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था।

मधुबनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U65100DL1991PTC045031 पंजीकत कार्यालय : ग्रीन फील्डस फार्म, खरारा नं, 8/1–1 10–2 9/ 3-4-5-6, गादीपुर रोड, तहसील महरौली, नई दिल्ली-110084 ई—मेल : gks@vsnl.com प्रपत्र सं. आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) (क) के अनुसरण में।

सार्वजनिक सूचना क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-11003 के समक्ष

म्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पर्न नेगमन) नियमावली. 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में

मध्बनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : ग्रीन फील्ड्र फार्म, खसरा नं. 8 / 1–1 10–2 9 / 3–4–5–6, गादीपुर रोड, तहसील महरौली, नर

लदद्वारा सर्वसाधारण को सुबना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इसका पंजीकत कार्याल "रा.रा.क्षे. दिल्ली" से "तें लगाना राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्ष बनाने के संबंध में 15–04–2019 को सम्पन्न याचिकादाता कम्पनी की असाधारण सामान ोठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन ही पुष्टि की याचना हेत्, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आवेदन न्त्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

होई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी गपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ **कोंम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003** को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपूर्व कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके उपरिवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर वास्ते मधुबनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

बोर्ड की समिति के आदेश द्वारा हस्ता. / -(देविंदर सिंह बराड)

निदेशक (ढीआईएन : 00068502)

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में डिवस ई कॉमर्स लिमिटेड

प्रारुप संख्या आईएनसी-25 क

(CIN: U52590DL2015PLC282937) जिसका पंजीकृत कार्यालय : **खसरा नं. 350, एम जी रोड,** सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110030 में स्थित है,

आम जनता को सुबना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अविकार देने के लिए, शुक्रवार दिनांक **19 जुलाई 2019** को आयोजित असाबारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव व अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति इसफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमे उनके हित 🖊 विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालव, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीअं कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **खसरा नं. 350, एम जी रोड, सुल्तानपुर,**

डिवस ई कॉमर्स लिमिटेड (निदेशक)

DIN:07331153

ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड DK JAIN पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन-II,

कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxindustries, दूरमाष : 011-49857832 ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, सीआईएन : L74899DL1981PLC012804

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को 10.30 पूर्वा. में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी गई सुचना में वर्णित व्यवसायों (साधारण तथा विशेष) को निष्पादित किया जाएगा

एजीएम की सूचना सहित वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर शेयरधारकों को प्रेषित कर दी गई है तथा ऐसे सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं।

कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.lumaxworld.in/ lumaxindustries.com पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज सभी कार्य दिवसों को (शनिवार छोड़कर) व्यावसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू हो गई तथा गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में शुरू होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की

अनुमति नहीं दी जायेगी। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ सभा में मत-पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 16 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे ई-मेल आईडी einward.iris@karvy.com पर कार्वी को अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख ई-वोटिंग निर्देशों में किया गया है जो कम्पनी तथा कार्वी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्वी में पहले से पंजीकृत हैं, तो रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे सभा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, उनके लिए सभा में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

शेयरधारकों को यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागू होने वाले नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 17 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक इक्विटी शेयर लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के

लिए बंद रहेंगे ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिए शेयरधारक https://evoting.karvy.com के "Downloads" खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा निम्नलिखित से

क) सुश्री अंकिता गुप्ता, प्लॉट नं. 878, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम-122016 अथवा ankita.gupta@lumaxmail.com

ख) मै. कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर-बी, प्लॉट 31-32, गाछीबाउली फाइनांशियल डिस्टिक्ट, नानकरामगडा, हैदराबाद-500032. टेली.: 040-67162222 अथवा टोल फ्री नं. 1800-3454-001

ल्युमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए अंकिता गुप्ता

EGISTERED OFFICE: F-0. GROUND FLOOR. THE MIRA CORPORATE SUITES. PLOT NO. 1 &2.

NOTICE n terms of the Clause 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 3rd August, 2019, inter-alia (I), to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1st Quarter ended on 30th June 2019 (II) to fix the date and venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2018-19 & to fix the Book Closure date for the purpose of AGM, and (III) to consider the proposal for issuance of warrants convertable into equity shares on preferential basis to the promoter Groups/entities of the company subject to the approval of share holders. The said notice is also available on the company's website www.globussprints.com and also

available on BSE & NSE website Dated: 27th July. 2019

	ated. 27 July, 2013	(Company Secretary)		
फार्म जी अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण				
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}				
संबंधित विवरण				
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड		
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	9 जनवरी, 1998		
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय-आरओसी-दिल्ली		
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U18101DL1998PLC091759		
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः 1/204, भूतल, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली–110010, भारत		
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	14 मई, 2019- आदेश की तिथि, 16 मई, 2019- आईआरपी के रूप में नियुक्ति के निर्णय की सूचना देते हुए माननीय एनसीएलटी से ईमेल प्राप्त की गई। 21 मई, 2019-आदेश की प्रति की प्राप्ति।		

17. प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका पत्राचार के पते पर रिजोल्यूशन प्रॉफेश्नल के पास मुहरबंद लेफाफे में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट द्वारा/हाथों-हाथ तथा उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति jipl.irp@llca.net पर ईमेल 18. स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा 29 अक्टूबर, 2019 करने की अनुमानित तिथि 19. प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या अखिलेश कुमार गुप्ता IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-18/11353

20. बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल अखिलेश कुमार गुप्ता ई-मेलः Akhilesh@llca.net 21. प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये अखिलेश कुमार गुप्ता, लूथरा एंड लूथरा रीस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेन्सी एडवायजरी एलएलपी, एलजीएफ, ए-16/9, पता तथा ईमेल वसंत विहार, नई दिल्ली-110057,

(अखिलेश कुमार गुप्ता), रिजॉल्यूशन प्रॉफेश्नल पंजीकरण संख्या- IBBI/IPA-001/IP-P00780/2017-18/11353 तिथि: 29 जुलाई, 2019 पंजीकृत पताः एलजीएफ, ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 जोत इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणधारक) के लिये

Santosh Kumar Pattanavak

		100	
l	4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U18101DL1998PLC091759
	5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः 1/204, भूतल, सदर बाजार, दिल्ली कैन्ट, दिल्ली–110010, भारत
	6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	14 मई, 2019- आदेश की तिथि, 16 मई, 2019- आईआरपी के रूप में नियुक्ति के निर्णय की सूचना देते ह माननीय एनसीएलटी से ईमेल प्राप्त की गई। 21 मई, 2019-आदेश की प्रति की प्राप्ति।
I	7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	29 जुलाई, 2019
	8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	http://www.llcairp.com/
I	9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	http://www.llcairp.com/
I	10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	19 अगस्त, 2019
I	11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	29 अगस्त, 2019
I	12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	3 सितम्बर, 2019
I	13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	13 सितम्बर, 2019
I	14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	
	15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	संहिता की धारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता अंडरटैकिंग प्राप्त करने के बाद क्रेडीटरों की समिति निर्दिष्ट तथा दिवाला एवं दिवालिया संहिता (संहिता) की 29(2) के अनुसार योग्यता मानदंड पूरा करने वाले संभा प्रस्ताव आवेदकों को रिजोल्यशन प्लान जमा करने के 1

नुचना मेमोरैण्डम, प्रॉसेस नोट, मूल्यांकन मैट्रिक तथा ्र जोल्यशन प्लान के लिये अनुरोध रिजोल्यूशन प्रॉफेश्नल द्वारा हलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति/भौतिक पद्धत्ति में उपलब्ध कराई जायेगी। 16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि

एलजीएफ, ए-16/4, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057,

ई-मेल आईडीः jipl.irp@llca.net 22. विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं http://www.llcairp.com/ 23. फार्म जी के प्रकाशन की तिथि 29 जुलाई, 2019

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत उन लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की संख्या बताने से इनकार कर दिया है, जो उसने 2014 और 2019 के बीच बैंक और वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में आरोपियों को पकड़ने के लिए जारी किए हैं। सीबीआइ ने कहा कि इससे जारी जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। सूचना मांगने वाले एक आरटीआइ आवेदनकर्ता के अनुसार जांच एजंसी

ने स्वयं द्वारा एलओसी जारी करने के बाद सक्षम प्राधिकारियों की ओर से

प्राप्त आदेशों की जानकारी भी देने से इनकार कर दिया। सीबीआइ ने इसके

लिए आरटीआइ कानून की धारा 8(1एच) का उल्लेख किया, जो ऐसी

सूचना मुहैया कराने से उसे छूट प्रदान करता है जो किसी आरोपी की

गिरफ्तारी या अभियोजन पर प्रतिकृल असर डाल सकती है।यह जवाब पुणे

के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार दुर्वे की ओर से सीबीआइ, विदेश मंत्रालय

और वित्त मंत्रालय में आरटीआइ अर्जी दायर करने के बाद आया है।

उक्त अर्जी के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के खिलाफ

जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। दुर्वे ने कहा कि एजंसी द्वारा अपने

अधिकारियों द्वारा भगोड़ों को वापस लाने के लिए कानूनी और यात्रा सेवाओं

पर किए गए खर्च के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

दिनांक: 28 जुलाई, 2019 स्थान : नई दिल्ली

नई दिल्ली

स्थानः गुरुग्राम तिथिः 27.07.2019

कंपनी सचिव